

क्रमांक 4211 / 35 / 2019-20
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर भोपाल -- 462 003
दूरभाष 2552646, 2552878, फ़ैक्स 2552406
Email ID- encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 30 सितंबर, 2019

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, म0प्र0

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह अक्टूबर 2019 में भुगतान हेतु वित्तीय कार्ययोजना ।

विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की मासिक सीमा निर्धारित की जाती है । फलस्वरूप यह आवश्यक है कि परियोजनाओं में से भुगतान की प्राथमिकता का निर्धारण कर तदनुसार भुगतान हो । इस कारण परियोजनावार कार्ययोजना की अनुमति पश्चात ही भुगतान किया जाना है, ताकि अत्यावश्यक भुगतान प्रभावित न हो ।

अतः कृपया माह अक्टूबर 2019 में पूंजीगत व्यय अंतर्गत (राजस्व व्यय के स्थापना, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों के भुगतान छोड़कर) परियोजनाओं के भुगतान हेतु इस कार्यालय को वित्तीय कार्ययोजना प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित करने तथा संलग्न प्रपत्र में योजनावार विवरण दिनांक 03/10/19 तक भेजने का कष्ट करें ।

सहपत्र - एक प्रपत्र

(शिरीष मिश्रा) 30/9/19
मुख्य अभियंता (बजट)
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 4211 / / 2019-20

भोपाल : दिनांक 30/09/19

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल (मैदानी) जल संसाधन विभाग, म0प्र0 ।
2. समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग (मैदानी) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देश है कि अक्टूबर माह में कार्ययोजना की अनुमति के पश्चात ही पूंजीगत व्यय अंतर्गत आपके पास उपलब्ध राशि से भुगतान किया जाना निर्देशित है साथ ही कार्ययोजना की अनुमति हेतु संलग्न प्रपत्र में जानकारी दिनांक 03/10/2019 तक भेजे ।
3. वेब मैनेजर, एम.एण्ड ई कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल । जारी आदेश विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।

(शिरीष मिश्रा) 30/9/19
मुख्य अभियंता (बजट)
जल संसाधन विभाग, भोपाल म0प्र0

